Order Sheet [Contd]

Case No. .... of 20 ....

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
13–10–2023	परिवादी द्वारा श्री बी.के. व्यास अधिवक्ता उप.। अभियुक्तगण अनिर्वाहित। प्रकरण पंजीयन पर तर्क हेतु नियत है। परिवादी के पंजीयन पर तर्क सुने गये। प्रकरण पंजीयन पर आदेश हेतु कुछ समय पश्चात पेश हो। (विवेक जैन) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कसरावद, जि.मण्डलेश्वर(म.प्र.)	

पुनश्च :–

उपस्थिति पूर्ववत।

इस आदेश द्वारा पंजीयन पर आदेश पारित किया जा रहा है।

परिवाद के माध्यम से परिवादी अनिताबाई ने व्यक्त किया कि दिनांक 24/05/23 को रात के 12:30 बजे गांव का नरेन्द्र आया बोला कि बबलू की जमानत मैंने करवायी है और शराब पीकर उसके साथ गाली गलौच कर साडी खींच दी व हाथ मुक्को से मारपीट की। उस समय परिवादी का लडका राहुल वहॉ आ गया तो उसे भी नरेन्द्र ने गाली गलौच की। परिवादी ने गाली देने से मना किया तो मौके पर आरोपी नरेन्द्र के पिता करसन, श्याम भी आ गये व गाली गलौच कर मारपीट की तथा आरोपीगण ने परिवादी के मकान पर पत्थर फेंककर दरवाजे खिडकी भी तोड दिये। उस समय आरोपीगण का साथ देने राधा, कोकिला, अखिलेश भी आ गये, उन्होंने भी गाली गलौच कर मारपीट की। आरोपीगण कह रहे थे कि आज तो बच गये किसी दिन जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट परिवादी ने चौकी खामखेडा थाना कसरावद पर की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मात्र अदम चेक की कार्यवाही कर भगा दिया। इस कारण यह परिवाद प्रस्तुत किया है। अतः यह परिवाद अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 341, 427, 504, 506, 34 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करने का निवेदन किया है। परिवाद के साथ में अदम चैक रिपोर्ट दि. 02.06.23 की छायाप्रति पेश की है।

परिवादी अनिताबाई ने स्वयं के तथा राहुल, राधेश्याम, मांगीलाल के कथन कराये हैं, अन्य साक्षीगण के कथन नहीं कराये गये है।

परिवादी ने परिवादपत्र में अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करना,

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	पत्थर फेकना तथा गंदी-गंदी गालियॉं देने व जान से मारने की धमकी के संबंध में बताया गया है तथा न्यायालय में परिवादी द्वारा दिये गये कथन में गालियॉं देने, खिडकी दरवाजो पर पत्थर फेंकने व मारपीट करने के संबंध में कथन किये है। परिवादी द्वारा परिवाद पत्र, दस्तावेजों एवं न्यायालय में दिये गये धारा 200 के कथन से दर्शित है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा **504, 427, 323/34** भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध में संज्ञान लेने के पर्याप्त आधार हैं। अतः अभियुक्तगण 1. नरेन्द्र पिता करसन, 2. करसन पिता तुकाराम, 3. श्याम पिता मंशाराम, 4. राधा पति नरेन्द्र, 5. कोकिला पति करसन, 6. अखिलेश पिता सीताराम के विरूद्ध धारा **504, 427, 323/34** भा.द.सं. के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है। प्रकरण विधिवत सी.आई.एस. साफ्टवेयर में दर्ज किया जाये। परिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह 03 दिवस की अवधि में आदेशिका शुल्क सहित तलवाना पेश करे तो अभियुक्तगण को उपस्थिति बाबत साधारण एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपस्थिति बाबत समंस प्रेषित किये जावें। प्रकरण अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु दिनांक 14/12/2023 को पेश हो। (विवेक जैन) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कसरावद, जि.मण्डलेश्वर(म.प्र.)	